PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू-रा/2017/

(5)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

(3)

अधिवक्ता
श्री ... द्वारा
जिला-होशंगाबाद
द्वारा प्रस्तुत।
19/07/2017
A.S.

मुकेश कुमार चौहान आयु करीब 48 वर्ष आ0 इन्द्रसिंह चौहान

निवासी बाबई तहसील बाबई जिला होशंगाबाद ------ पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह चौहान आ0 इन्द्रसिंह चौहान

2. नरेन्द्र सिंह आ0 स्व0 श्री इन्द्रसिंह चौहान

3. राकेश चौहान आ0 स्व0 श्री इन्द्रसिंह चौहान

सभी निवासी बाबई तहसील बाबई जिला हो.बाद ------ उत्तरवादीगण

होशंगाबाद कार्यालय
... 25-7-17
25-7-17

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्र0क्र0 1/अपील./16-17 मे पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 जिसकी जानकारी अपीलार्थी / आवेदक अधिवक्ता को दिनांक 23.5.2017 को हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि 4.7.17 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने से निर्धारित समयावधि मे यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत करता है।

:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::

1. यह कि, इस प्रकरण मे उत्तरवादीगण के द्वारा निम्न

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 2549

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2/1/18	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 8–5–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि राजस्व मण्डल द्वारा आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय की कार्यवाही उचित एवं वैधानिक है । इसके अतिरिक्त म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रकरण अंतरण करने के संबंध में कोई स्पष्ट आधार नहीं होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	